ई.ऑफिस एफ संख्या.डब्ल्यू-11011/10/2015-ओ/ओ संयुक्त सचिव (डब्ल्यू एण्ड ए)
संख्या.डब्ल्यू-11014/06/2009-जल (भाग)
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
*****

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 2 फरवरी, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में क्षेत्र अधिकारी के रूप में अधिकारियों के मध्य राज्यों के आबंटन से संबंधित।

क्षेत्र अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु मंत्रालय के अधिकारियों के मध्य राज्यों के आबंटन से संबंधित पिछले सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित आबंटन किया जाता है:

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	आबंटित राज्य
1.	श्री दिनेश चन्द, अतिरिक्त सलाहकार	असम, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश
2.	श्री राजेश कुमार, निदेशक (जल)	राजस्थान तथा कर्नाटक
3.	श्री सुजॉय मजुमदार, निदेशक (एसबीएम)	नागालैंड और उत्तराखंड
4.	श्री डी. राजशेखर, उप सलाहकार (जल गुणवत्ता)	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा
5.	डॉ. जी बालासुब्रमण्यम, उप सलाहकार (एसबीएम)	मध्य प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश
6.	सुश्री संध्या सिंह, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी/आईईसी)	हरियाणा और पंजाब
7.	श्री ए.के. श्रीवास्तव, अवर सचिव (जल)	छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्रा
8.	श्री एस. सान्याल, अवर सचिव (जल गुणवत्ता)	जम्मू और कश्मीर, केरल तथा मिजोरम
9.	श्री जे.सी. सिंघल, तकनीकी परामर्शदाता (एनपीएमयू) (डब्ल्यूबी)	बिहार और झारखण्ड
10.	श्री जी.आर. ज़रगर, टीएल (डब्ल्यू)	उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल
11.	श्री षण्मुगम सुन्दरम्, एनआरसी, परामर्शदाता	सिक्किम और त्रिपुरा
12.	श्री अनिसुर रहमान, एनआरसी परामर्शदाता (एम और ई/एचआरडी)	मणिपुर और मेघालय
13.	श्री जुनैद अहमद, एनआरसी परामर्शदाता	हिमाचल प्रदेश और पुदुचेरी

	(एसबीएम)	
14.	डॉ. ब्रजेश श्रीवास्तव, परामर्शदाता (जल गुणवत्ता)	तेलंगाना और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

राज्यों की एसएलएसएससी बैठक में भाग लेने वाले क्षेत्र अधिकारियों हेतु निर्देश:-

- क्षेत्र अधिकारी जब भी एसएलएसएससी बैठक के लिए राज्यों में जाएँ तो वे यह देखें कि सभी स्कीमों को मंजूरी एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही दी जा रही है।
- एसएलएसएससी में संस्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से योजना आयोग तथा मंत्रालय के अधिदेश को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाए। उदाहरण के लिए बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में हैंड पंपों की मंजूरी अधिक संख्या में दी जा रही है और पाइप द्वारा जलापूर्ति पर बल नहीं दिया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप एनआरडीडब्ल्यूपी का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, अत: एसएलएसएससी बैठक के दौरान इस पर दृढ़ता से बल दिया जाए।
- सभी अधूरी परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए क्योंकि राज्यों को राशि जारी करने की यह अनिवार्य शर्त है। राज्य इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। राज्यों को उन जलापूर्ति स्कीमों की संख्या दर्शानी है जो 10,5 अथवा 3 वर्षों से लंबित थे और जिन्हें पिछली एसएलएसएससी के बाद पूरा किया गया है। शेष परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भविष्य की समय-सीमा निर्धारित की जाए।
- एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशा-निर्देशों के आधार पर 0-25% तथा 25-50% कवरेज वाले तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाए।
- यह देखा गया है कि राज्य जल गुणवत्ता के लिए चिन्हित 5% सहायता निधि तथा जल गुणवत्ता एम एण्ड एस (3%) घटक की राशि नहीं लेते। एसएलएसएससी बैठकों में राज्यों के दौरे के दौरान इस पर चर्चा की जाए। राज्य पिछली एसएलएसएससी से अब तक स्थापित जिला स्तर तथा उप-जिला स्तर की प्रयोगशालाओं की संख्या तथा, किए जा रहे जल गुणवत्ता परीक्षणों की प्रगति बताएं।
- अनुमोदित डीपीआर के लिए एसएलएसएससी के पश्चात तत्काल प्रशासनिक अनुमोदन दिया जाए और उसकी सूचना कवरेज, स्थायित्व, जल गुणवत्ता तथा सहायता निधि के अंतर्गत इस मंत्रालय को अलग-अलग दी जाए ताकि परियोजना लागत अत्यधिक न बढ़े।
- राज्य एनबारडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत दर्शाएं तथा मंत्रालय/राज्य द्वारा जारी निधि के आधार पर प्रस्ताव और इन जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने का कार्यक्रम बताएं।
- क्षेत्र अधिकारी द्वारा पिछली एसएलएसएससी से अब तक पूरी की गई सभी जलापूर्ति योजनाओं तथा कवर की गई बसावटों की समीक्षा की जाए तथा संयुक्त सचिव (जल) को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

- राज्य एसएलएसएससी बैठक के कम से कम 15 दिन पहले मंत्रालय को कार्यसूची सहित सूचना भेजे।

क्षेत्र अधिकारी जल तथा स्वच्छता दोनों पर ध्यान देंगे। दौरे के बाद, क्षेत्र अधिकारी संबद्ध संयुक्त सचिव को, लिए गए निर्णयों तथा कार्यक्रम पर अनुवर्ती कार्रवाई की संक्षिप्त सूचना देंगे।

यह सचिव, डीडब्ल्यूएस के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(राजेश कुमार)
निदेशक (जल)

सेवा में,

i) सभी संबद्ध: (श्री दिनेश चन्द, अतिरिक्त सलाहकार/श्री राजेश कुमार, निदेशक (जल)/श्री एस. मजुमदार, निदेशक (एसबीएम)/श्री डी. राजशेखर, उप सलाहकार/श्री जी. बालासुब्रमण्यम, उप सलाहकार (एसबीएम)/सुश्री संध्या सिंह, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)/श्री ए.के. श्रीवास्तव, अवर सचिव (जल)/श्री एस. सान्याल, अवर सचिव (जल गुणवत्ता)/श्री जी.आर. ज़रगर, वरिष्ठ सलाहकार/श्री जे.सी. सिंघल तकनीकी परामर्शदाता (एनपीएमयू)/श्री षण्मुगम सुंदरम, एनआरसी परामर्शदाता/श्री अनिसुर रहमान, एनआरसी परामर्शदाता (एसबीएम)/डॉ. ब्रजेश श्रीवास्तव परामर्शदाता (जल गुणवत्ता)
ii) सभी राज्य/संघराज्य क्षेत्र (प्रधान सचिव/मुख्य अभियंता) (वैबसाइट पर डलवाने के माध्यम से)

प्रति प्रेषित: सचिव (डीडब्ल्यूएस) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जल) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (स्वच्छता) के प्रधान निजी सचिव/निदेशक (जल)/निदेशक (स्वच्छता)/निदेशक (वित्त)/अवर सचिव (जल)/अवर सचिव (स्वच्छता)/अवर सचिव (समन्वय)/संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)/तकनीकी निदेशक (एनआईसी) (वैबसाइट पर डलवाने तथा ईमेल के माध्यम से)